DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, CHHATTISGARH
संचालनालय तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़
Government Girl's Polytechnic Campus, Byron Bazaar, Raipur - 492001
शासकीय कन्या पॉलीटेकनिक परिसर, बैरन बाजार, रायपुर - 492001

Phone : 0771- 2331330, 2421376, Fax : 2331331, Website : http://www.cgdteraipur.ac.in

:: सत्र 2011–12 में बी.फार्मेसी एवं बायोटेक्नालॉजी पाठ्यक्रम में PPHT-2011 के मेरिट के आधार पर तथा डी फार्मेसी पाठ्यक्रम में PPHT-2011/12TH PCM/PCB के मेरिट के आधार पर प्रवेश हेतु द्वितीय चरण की ऑन लाइन काउंसिलिंग एवं संस्था स्तर की काउंसिलिंग की सूचना ::

संचालनालय द्वारा आयोजित प्रथम चरण की आनलाइन काउंसिलिंग के पश्चात प्रदेश में स्थित विभिन्न फार्मेसी महाविद्यालयों में संचालित बेचलर ऑफ फार्मेसी एवं बॉयोटेक्नालॉजी (बी.ई.) पाठ्यक्रम के छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्य कोटा में सत्र 2011–12 में PPHT-2011 की मेरिट के आधार पर तथा डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये PPHT-2011/12TH PCM/PCB के मेरिट के आधार पर संस्थाओं की रिक्त रह गई सीटों पर आबंटन काउंसिलिंग द्वारा निम्न समय सारिणी अनुसार संपादित होगा । निजी संस्थाओं के अन्य राज्य कोटा (10%) के लिए अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं।

काउंसिलिंग कार्यक्रम (द्वितीय चरण की आनलाइन एवं संस्था स्तर की काउंसिलिंग)

स.क्र.	विवरण	दिनांक से	दिनांक तक
1	Website: www.mkcl.biz/cgppht2011 में ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन करना एवं ऑप्शन फार्म भरना (Online Registration & Option Filling)	05 सितम्बर 2011 पूर्वान्ह 11:00 बजे	08 सितंबर 2011 अपरान्ह 03:00 बजे
2	दस्तावेज परीक्षण केन्द्र (Document Verification Centre) में दस्तावेजों का परीक्षण	05 सितम्बर 2011	08 सितम्बर 2011 शाम 5:30 बजे
3	द्वितीय चरण की सीट आबंटन की सूची जारी करना	09 सितम्बर 2011 , अपरान्ह 04:00 बजे	
4	आबंटित संस्था में प्रवेश लेने का कार्य	10 सितम्बर 2011	15 सितम्बर 2011
5	संस्थाओं में रिक्त रह गई सीटों की जानकारी वेबसाइट www.mkcl.biz/cgppht2011 में अपलोड करना	16 सितम्बर 2011 (समय पूर्वान्ह 11:00 बजे)	
6	रिक्त सीटों पर संस्था स्तर की काउंसिलिंग / प्रवेश	16 सितंबर 2011	20 सितम्बर 2011

टीप : डिप्लोमा फार्मेसी में प्रवेश हेतु PPHT-2011 को प्राथमिकता दी जायेगी तथापि जो अभ्यर्थी PPHT-2011 नहीं दिये हैं, उन्हें भी सीट रिक्त रहेने पर 12वीं PCM/PCB के आधार पर डिप्लोमा फार्मेसी के लिए आंबटन किया जायेगा। अतः 12वीं के आधार पर आनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

2. **आनलाइन काउंसिलिंग हेतु निर्धारित फीस –** सभी अभ्यर्थियों को ऑन लाईन काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिये निर्धारित काउंसिलिंग शुल्क रु. 500/– (रु. पॉच सौ केवल) जमा करना अनिवार्य है । यह राशि चालान के रूप में **भारतीय स्टेट बैंक** के देश भर में स्थित किसी भी शाखा में **''संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़''** के नाम से **संचालित खाता क्रमांक – 31077006832** में जमा करना है । फीस चालान के अतिरिक्त और किसी अन्य रूप में जैसे :– डी.डी., चेक, नगद के रूप में फीस स्वीकार्य नहीं है। ऑनलाईन काउंसिलिंग फार्म भरने से पूर्व रु. 500/– का चालान जमा कर लें । चालान निर्धारित प्रारूप में ही जमा करें, चालान का प्रारूप प्रवेश नियम पुस्तिका के अंत में दिया गया है। चालान का प्रारूप वेबसाइट www.cgdteraipur.ac.in अथवा www.mkcl.biz/cgppht2011 से भी डाउन लोड कर उपयोग किया जा सकता है। चालान फार्म में Registration ID/Ref. No. के सामने पी.पी.एच.टी.–2011 का रोल नंबर लिखें । इसकी तीन प्रति में से एक प्रति बैंक में जमा होगी, DTE की कॉपी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जमा किया जाना है एवं Candidate Copy को अभ्यर्थी को अपने पास सुरक्षित रखना है । एक बार जमा की गई काउंसिलिंग फीस वापसी योग्य नहीं है । संस्था स्तर की काउंसिलिंग के लिए सिर्फ उन्हीं आवेदकों से जिन्होने पहले रु 500 का चालान जमा नहीं किया है से संस्था स्तर पर रु 200/की फीस ली जा सकती है।

3. द्वितीय **चरण की काउंसिलिंग –**

प्रथम चरण के पश्चात् रिक्त रह गई सीटों एवं द्वितीय चरण के रजिस्ट्रेशन के दौरान पूर्व प्रवेशित छात्रों के सीट छोड़ने के कारण रिक्त होने वाली सीटों के आबंटन के लिये द्वितीय चरण में पुनः वैसे ही प्रक्रिया अपनायी जायेगी, जो प्रथम चरण में थी । इसमें चार प्रकार के अभ्यर्थी हो सकते हैं :

i. ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण मे आबंटन के पश्चात् किसी संस्था में प्रवेश ले चुके हैं – ऐसे अभ्यर्थी यदि अपनी पूर्व आबंटित संस्था बदलना चाहते हैं तो उन्हें भी द्वितीय चरण में Login करना होगा । **परंतु उनकी पूर्व आबंटित सीट स्वमेव निरस्त हो जायेगी एवं यह आवश्यक नहीं है कि उसे वह सीट पुनः मिले।** ऐसे अभ्यर्थी सोच समझकर Login करें । इन्हें पुनः रु. 500/– काउंसिलिंग फीस का चालान जमा करना अनिवार्य है । अभ्यर्थी को दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है एवं Receipt Cum Acknowledgement प्राप्त करना अनिवार्य है।

ii. ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में आबंटन प्राप्त किये थे परंतु संस्था में प्रवेश नहीं लिये – ऐसे अभ्यर्थी की पूर्व आबंटित सीट निरस्त मानी जायेगी एवं ये पुनः द्वितीय चरण में Login कर सकेंगे। इन्हें पुनः रु. 500/– काउंसिलिंग फीस का चालान जमा करना अनिवार्य है । अभ्यर्थी को दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है एवं Receipt Cum Acknowledgement प्राप्त करना अनिवार्य है।

iii. अ) ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन कराये थे परंतु आबंटन नहीं हुआ था – ऐसे अभ्यर्थी यदि अपना विकल्प बदलते हैं तो उन्हें पुनः रु. 500/– काउंसिलिंग फीस का चालान जमा करना होगा। अभ्यर्थी को दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है एवं Receipt Cum Acknowledgement प्राप्त करना अनिवार्य है।

ब) यदि विकल्प नहीं बदलते हैं तो उन्हें रु. 500/– का चालान जमा करने की आवश्यकता नहीं है । वे स्वमेव ही मेरिट के आधार पर काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल रहेंगे । अभ्यर्थी को दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में उपस्थित होना आवश्यक नहीं है।

iv. ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाये थे – ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चरण में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं । इसके लिये इन्हें रु. 500/– काउंसिलिंग फीस का चालान जमा करना होगा। अभ्यर्थी को दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है एवं Receipt Cum Acknowledgement प्राप्त करना अनिवार्य है।

टीप : जो छात्र प्रथम चरण में किसी संस्था में प्रवेश ले चुके हैं एवं द्वितीय चरण में उन्हें अन्य संस्था आबंटित होती है । ऐसे छात्रों से उनके द्वारा जमा की गई कुल फीस में से रु. 1000/– की कटौती संस्था द्वारा करने के पश्चात् शेष समस्त राशि संस्था द्वारा छात्र को वापस की जानी है । इसके अतिरिक्त और कोई कटौती नहीं की जानी है । संस्था स्तर पर काउंसिलिंग /प्रवेश के मामले में भी उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही की जानी है।

4. आबंटित संस्था में प्रवेश लेने का कार्य

द्वितीय चरण में आबंटित अभ्यर्थियों को संबंधित संस्था में निर्धारित अवधि में प्रवेश लेना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में प्रवेश नहीं लेने पर आबंटन स्वमेव निरस्त माना जायेगा । जो अभ्यर्थी पूर्व में कही प्रवेश ले चुके थे, उन्हें तात्कालिक रूप से स्थानांतरण प्रमाण पत्र के बिना भी प्रवेश लेने की अनुमति है। परंतु बाद में स्थानांतरण प्रमाण पत्र जमा करना होगा ।

5. काउंसिलिंग के शेष नियम प्रथम चरण के विज्ञापन अनुसार ही रहेंगे कृपया इसका अवलोकन कर लें।

6. बी.फार्मेसी एवं बायोटेक में प्रवेश के लिए PPHT अनिवार्य है, डी.फार्मेसी के लिए PPHT को प्राथमिकता दी जाएगी एवं PPHT अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर 12वीं के आधार पर प्रवेश दी जा सकती है ।

7. संचालनालय द्वारा द्वितीय चरण की काउंसिलिंग के पश्चात रिक्त रह गई सीटों को संस्था स्तर की काउंसिलिंग से भरने की अनुमति (16 से 20 सितंबर 2011 तक) दी जाती है । रिक्त सीटों की संख्या वेबसाइट में यथा समय दे दी जाएगी । प्रवेश नियम वैसे ही रहेंगे जैसे संचालनालय स्तर की काउंसिलिंग में लागु हैं। इच्छुक अभ्यर्थी सीधे संस्था से संपर्क कर सकते हैं । 20 सितंबर के पश्चात किसी स्तर पर प्रवेश नहीं होगे ।

8. काउंसिलिंग के संबंध में विस्तृत जानकारी www.mkcl.biz/cgppht2011 में दी गई है । आवश्यक पूछताछ के लिये दूरभाष क्रमांक 0771–2421376, 0771–2430024 एवं मोबाइल नंबर 98274–72366 व 94255–10904 पर संपर्क किया जा सकता है ।

9. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में सक्षम अधिकारी/संचालक, तकनीकी शिक्षा का निर्णय अंतिम होगा।

संचालक
तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ